न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 145/2019
GCMS NO. : 2019/00218

-: प्रार्थी :- बनाम -: अप्रार्थीगण :-

1. बिदामी पुत्र नेनाराम
2. नोसर पुत्री नेनाराम
3. श्यामलाल पुत्र पेमाराम
जातियान-कुम्हार, निवासी- गुड़ा हेमड़ाई, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज०।

1. पेमाराम पुत्र नेनाराम
2. बिरदाराम पुत्र नेनाराम
3. जयराम पुत्र नेनाराम
4. हरचन्द पुत्र लक्ष्मणराम
5. उगमाराम पुत्र लक्ष्मणराम
6. पप्पुराम पुत्र लक्ष्मणराम जातियान-कुम्हार निवासीगण ग्राम गुड़ा हेमड़ाई तहसील जैतारण जिला पाली।
7. सुशीला पुत्री पेमाराम पत्नी लक्ष्मणराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम रिच्छमालिया तहसील पीसांगन जिला अजमेर राजस्थान।
8. तहसीलदार जैतारण, तहसील कार्यालय जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:-03.10.2019**

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 18/08/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायलान संख्या 01 व 06 सभी नैनाराम पुत्र रामाराम कुम्हार निवासी गुड़ा हेमड़ाई ग्राम पंचायत सेवरिया तहसील जैतारण जिला पाली के पुत्र, पुत्रियां एवं वंशज है। सायलान व गैरसायलान संख्या 01 से 06 सभी नैनाराम जी वंशज है। जो हिन्दू धर्म के अनुयायी है एवं भारतीय नागरिक है पक्षकारो पर हिन्दू विधि लागू होती है। राजस्व मौजा गुड़ा हेमड़ाई पटवार हल्का सेवरिया में सायलान व गैरसायलान संख्या 02 एवं अन्य सहहिस्सेदारो की पैतृक पुश्तैनी शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि निम्न विवरण की आई हुई है- अ. खसरा संख्या 1617 रकबा 14-15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 1618 रकबा 08-00 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 1619 रकबा 10-16 बीघा किस्म बारानी दोयम [illegible] खसरा संख्या 03 कुल रकबा 33-11 बीघा। इन उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में पांचूराम वल्द रामारामजी के वारिसान का 1/2 का हिस्सा है शेष 1/2 वे की सायलान संख्या 01 व 02 एवं उनके भाईयो के पिता [illegible]राम वल्द रामाराम [illegible] है इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

माफिक सायलान व उनके भाई एवं अन्य सहहिस्सेदार मौके पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। तथा ब. खसरा संख्या 1731/1616 रकबा 10-00 बीघा किस्म बारानी दोयम लगान 2.50 की सम्पूर्ण भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार सायलान संख्या 01 व 02 एवं उनके भाईयों के पिता नैनाराम वल्द रामारामजी थे। इसी माफिक सायलान व उनके भाई मौके पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि सायलान की पैतृक व पुश्तैनी है जिसकी चालू जमाबन्दी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है तथा इन उपर वर्णित खसरा नम्बरान की भूमियों को प्रार्थना पत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। विवादित भूमि के वक्त सेटलमेन्ट के समय से काबिज खातेदार काश्तकार रामारामजी कुम्हार निवासी गुड़ा हेमड़ाई वाले थे। कालान्तरण में उनके फौत होने पर उक्त विवादित भूमि रामारामजी के जाईन्दा पुत्र क्रमशः पांचाराम व नैनाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। पांचाराम की फौत होने पर उनके 1/2 वे हिस्से की भूमि पांचाराम के वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के दर्ज हुई थी। जिसके बाबत कोई विवाद नही है। इसी प्रकार शेष 1/2 वे हिस्से की भूमि नैनाराम वल्द रामारामजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। जिसके दस्तावेजी सबूत के रूप में चौसाला जमाबन्दी संवत 2041 से 2044, 2045 से 2048, 2056 से 2059 इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिससे साबित है कि उक्त विवादित भूमि सायलान के पिता व दादा नैनाराम वल्द रामारामजी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की थी। नैनाराम वल्द रामाराम जी के फौत होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 एवं राज. काश्त अधिनियम की धारा 40 के माफिक उक्त वादग्रस्त भूमि नैनाराम जी के जायन्दा पुत्र एवं पुत्रीयो यानि नैनाराम जी के प्रथम श्रेणी सभी विधिक वारिसान के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने नैनाराम जी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही नैनाराम जी के केवल जाईन्दा पुत्रो के नाम उक्त विवादित भूमि दर्ज कर दी गई। जिसमें प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के बाबत तत्कालीन हल्का पटवारी ने नामान्तरणकरण संख्या 164 व 165 के जरिये विवादित भूमि केवल सायलान संख्या 01 व 02 के भाई लक्ष्मणराम, पेमाराम, बिरदाराम व जयराम के नाम दर्ज कर दी तथा उस दोरान सायलान दोनों का नाम उक्त दोनो ही म्यूटेशन संख्या 164 व 165 में छोड़ दिया जो गलत व विधि विरूद्ध था। वास्तविकता में उक्त म्यूटेशन संख्या 164 व 165 में सायलान के नाम दर्ज नही होने की वजह से इस विवादित भूमि में सायलान के पुश्तैनी हक व अधिकार समाप्त नहीं हुये है। साथ ही उक्त म्यूटेशन संख्या 164 व 165 की कार्यवाही मात्र राजस्व वसूली हेतु ही की गई कार्यवाही मात्र है। तथा इस प्रकार के नामान्तरण मात्र से कानूनन न तो किसी पक्षकार के पुश्तैनी हक व अधिकार समाप्त होते एवं न ही केवल नामान्तरणकरण से पुश्तैनी हक व अधिकार उत्पन्न होते है। इस प्रकार से इस प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि के सम्बन्ध में किये गये नामान्तरणकरण संख्या 164 व 165 सायलान के हक व अधिकारों के विरूद्ध शून्य व निष्प्रभावी दस्तावेज मात्र है लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर,

ऽ नामान्तरणकरण के अस्तित्व में रहने से सायलान के हक व अधिकारो पर परित प्रभाव पड़ रहा है। इसलिये ऐसा कुटरचित व विधि विरूद्ध नामान्तरणकरण को द्द घोषित करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा का बहक सायलान विरुद्ध रसायलान के सादर प्रस्तुत है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि सायलान ऽ पिता व दादा नेनाराम जी की होने से सायलान की पैतृक व पुश्तैनी भूमि है। जन पर सायलान को बाई बर्थ (जन्मत) हक व अधिकार प्राप्त है। इस विवादित भूमि में सायलान सहित नेनाराम जी के जीवित व वर्तमान प्रथम क्षेणी के कुल 06 उत्तराधिकारी है इस प्रकार से इस सम्पूर्ण भूमि सायलान संख्या 01 व 02 प्रत्येक का नेनाराम जी के उत्तराधिकारी के रूप में 1/6- 1/6 वां हक हिस्सा व अधिकार है। इसी प्रकार गैरसायल पेमाराम का भी इस वादग्रस्त भूमि में केवल 1/6 वां हिस्सा ही है। यानि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 (अ) में वर्णित भूमि में पेमाराम का 1/12 वां हिस्सा आता है व 02 (ब) में वर्णित भूमि में 1/6 हक हिस्सा व अधिकार आता है तथा सायल संख्या 03 श्यामलाल भी उक्त गैरसायल पेमाराम जी का जायन्दा दत्तक पुत्र है उक्त श्यामलाल को पेमाराम जी व उनकी पत्नि द्वारा बाल्यावस्था में ही माफिक हिन्दू रिति रिवाज अनुसार गोद ले लिया था। तथा पश्चातवर्ती प्रक्रम में गोदनामा का पंजीयन भी उप पंजीयन अधिकारी द्वारा करवाया जा चुका है जिससे सम्बन्धित दस्तावेजी सबूत इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार से यह स्वीकृत सुदा स्थिति है कि गैरसायल पेमाराम जी के सायल संख्या 03 श्यामलाल दत्तक पुत्र है। इस प्रकार से इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि सायलान की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि है जिससे रहन बैचान बक्शीश व वसियत के किसी भी रूप में अन्य हस्तान्तरण करने का गैरसायल पेमाराम को कोई हक व अधिकार नही है। उसके बावजूद भी उक्त विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में गलत हिस्से के रूप में केवल गैरसायल पेमाराम जी के नाम गलत दर्ज होने की वजह से इसे दुरस्त कराने हेतु भी सायलान की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा का विरूद्ध गैरसायल पेमाराम जी व अन्य के सादर प्रस्तुत है। विवादित भूमि सायलान की पैतृक व पुश्तैनी है तथा इस विवादित भूमि में गैरसायल पेमाराम जी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार कोई हक हिस्सा व अधिकार एवं कब्जाकाश्त नहीं होने के बावजूद भी सायलान को उनकी पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की उक्त सम्पूर्ण भूमि से वंचित करने की नियत से गैरसायला सुशीला ने गैरसायल पेमाराम जी को अपने सिकावे व बहकावें में लेकर दिनांक 04.05.2018 को गैरसायल सुशीला ने इस वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमियो के बाबत गैरसायल पेमाराम जी के हक हिस्से से ज्यादा हिस्से कूटरचित तरीके से लिखते हुये अपने पक्ष में बक्शीशनामा लिखवा दिया तदुपरान्त उक्त बक्शीशनामा को उसी दिनांक 04.05.2018 को ही उप पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में पंजीबद्ध किया जाना बताया गया है। इस प्रकार से उक्त कथित बक्शीशनामा सायलान के हक व अधिकारों के विरूद्ध शून्य व निष्प्रभावी दस्तावेज मात्र है। तथा उक्त बक्शीशनामा भी गैरसायल पेमाराम जी द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के ही सायलान व अन्य सह हिस्सेदारों की संयुक्त व शामलाती खातेदारी भूमि का किया गया होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
परगना ... कलक्टर,

ायलान के हक व अधिकारों के विरूद्ध नल एण्ड वॉइड (शून्य व निष्प्रभावी) स्तावेज होने से काबिज खारिज के है। जिसके बाबत सक्षम सिविल न्यायालय में ार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। सायलान की इस पुश्तैनी खातेदारी भूमि को ौरसायल पेमाराम को जरिये रहन बैचान, बक्शीशनामा वसियत के अन्य हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि गैरसायल को उक्त भूमि सायलान के सामलाती केवल भोगने का अधिकार है। तथा उक्त विवादित भूमि सायलान व सहहिस्सेदारों के संयुक्त व शामलाती अविभाजित भूमि है जिसका बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ है। इसलिए सायलान की इस पैतृक पुश्तैनी संयुक्त व शामलाती भूमि का बिना हक एवं अधिकार के तथा बिना बंटवाड़ा कराये ही गैरसायल पेमाराम द्वारा गैरसायला सुशीला के पक्ष में विशिष्ट भू – भाग का किया गया बक्शीशनामा कतई गलत व विधि विरूद्ध होने से उसके बाबत सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। विवादित भूमि सायलान की पैतृक–पुश्तैनी होने से एवं मौके पर सायलान का भी कब्जा एवं हक अधिकार होने से सायलान अपनी इस भूमि का उपयोग– उपभोग बतौर काश्तकार खातेदार के करने के अधिकारी है लेकिन इस विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में सायलान का नाम दर्ज नहीं होने एवं भूमि केवल गैरसायल के नाम दर्ज होने से उक्त गैरसायलान मौके पर सायलान से लड़ाई– झगड़ा व विवाद तथा भूमि को जरिये रहन बैचान के अन्य हस्तांतरण करने पर आमादा है। दिनांक 11.09.2019 को गैरसायला सुशीला व अन्य गैरसायलान ने स्वयं मौके पर आकर सायलान को ऐलानिया कथन किया उक्त विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में केवल हमारे नाम है इसलिये तुम इस भूमि पर से अपना कब्जा हटा लेना अन्यथा हम तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करेंगे तथा लाठी–लकड़ी के बल पर तुम्हें इस विवादित भूमि से बेकाबिज कर देगे। तब सायलान ने मालूमात करवाया तो सायलान को ज्ञात हुआ कि विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में उनका नाम नहीं है इस वजह से गैरसायलान व उनके मिलने वाले व्यक्ति एवं अधिकृत व्यक्ति लाठी– लकड़ी के बल पर सायलान को इस विवादित भूमि बेकाबिज करने पर आमादा हैं साथ ही इस भूमि को रहन वैचान वसीयत के अन्य हस्तांतरण करने पर भी आमादा है। इस प्रकार से यदि सायलान को लाठी लकड़ी के बल पर इस विवादित भूमि से बेकाबिज कर दिया जाता है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। सायलान अपनी पैतृक पुश्तैनी जायदाद से हमेशा– हमेशा के लिए वंचित हो जायेगे। तब सायलान को होने वाली क्षति की पूर्ति भी किसी कदर संभव नहीं होने से गैरसायलान के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगे। जिससे विवाद बढेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिंग्स होगी। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का बहक सायलान विरूद्ध गैरसायलान के सादर प्रस्तुत है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया बहुत ही मजबूत मामला है कारण कि विवादित भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है तथा उक्त भूमि गैरसायलान के नाम गलत दर्ज हिस्सा व हल्का पटवारी द्वारा गलत व कुटरचित नामान्तरणकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:11:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन [illegible] कलक्टर,
[illegible]-पाली

64 व 165 के जरिये दर्ज होने से इस प्रकार से उक्त भूमि को जरिये बक्शीश बैचान व अन्य किसी रूप में अन्य हस्तान्तरण करने का गैरसायलान को कोई हक व अधिकार नही होने के बावजूद भी गैरसायलाान इस भूमि को जरिये रहन बैचान वसियत के अन्य हस्तान्तरण करना चाहते है। इसलिए भी प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण तक इस विवादित भूमि के रिकार्ड व मौके की स्थिति में रद्दो बदल करने से गैरसायलान को रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में होने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहक सायलान विरूद्ध गैरसायलान के सादर प्रस्तुत है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :– वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गुड़ा हेमड़ाई स्थित वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पिता व दादा नैनाराम वल्द रामारामजी की खातेदारी आराजी थी, नैनाराम के फौत होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के तहत माफिक वादग्रस्त आराजी में खातेदार नैनाराम के प्रथम श्रेणी के सभी विधिक वारिसान का नाम दर्ज होना था लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी विधिक वारिसान की जांच किए बिना नैनाराम के केवल जायन्दा पुत्रो का नाम नामान्तरण संख्या 164 व 165 द्वारा दर्ज कर दिया गये जिससे प्रार्थीगण के हक व अधिकार समाप्त नही हो जाते है। वादग्रस्त आराजी में नेनाराम के उत्तराधिकारी के रूप में प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 का प्रत्येक का 1/6–1/6 हक हिस्सा निहित है। जिनके खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी निहित है।

अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:06 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] आराजी की जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 के अनुसार खसरा संख्या 1617, 1618 व 1619 की आराजी में पांचू नैना पि. रामा कुम्हार बतौर सहखातेदार दर्ज है। वही खसरा संख्या 1731/1616 की आराजी में नैना पुत्र रामा कुम्हार बतौर गैरखातेदार दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1731/1616 की आराजी नैना पुत्र रामा को आवंटित/नियमित

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन [illegible] कलक्टर,
[illegible]

मि होने से उक्त आराजी नैना पुत्र रामा की व्यक्तिगत आराजी की श्रेणी में आती । नामान्तरण संख्या 164 ग्राम गुड़ा हेमड़ाई के अनुसार नैना पुत्र रामा फौत होने खसरा संख्या 1617, 1618 व 1619 में एवं नामान्तरण संख्या 165 द्वारा ‌सरा संख्या 1731/1616 में मृतक नैनू के स्थान पर उसके वारिस के रूप में ‌क्ष्मण पेमा भिरदा जयराम पि. नैना कौम कुम्हार दर्ज किया गया। प्रार्थी संख्या 01 । 02 द्वारा शपथ पत्र पर यह प्रकट किया है कि वे मृतक खातेदार नैनाराम पुत्र ‌ामाराम की जायन्दा पुत्रियां है। साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत रेवरिया द्वारा दिनांक 24.07.2018 को जारी पत्र द्वारा यह प्रमाणित किया है कि नैनाराम पुत्र रामाराम फौत के पुत्रगण लक्ष्मण पेमाराम भिरदाराम व जयराम तथा पुत्रियां बिदामी व नौसर तथा पत्नी दाखु देवी, लक्ष्मण एवं दाखुदेवी फौत हो चूके है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चूंकि प्रार्थीया संख्या 01 व 02 मृतक खातेदार नैना की पुत्रियां है जिन्होने अपने पिता की सम्पति में प्रथम वारिसान की हैसियत से अपने 1/6 हिस्से के खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :- चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हुआ हैं, साथ ही प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मृतक खातेदार नैना पुत्र रामा की प्रथम श्रेणी की वारिसान की हैसियत से प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा कानूनन निहित होने एवं इसी अनुरूप खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् से पृथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी बनता है अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना माना जा सकता है। साथ ही चूंकि प्रार्थीगण द्वारा नामान्तरण संख्या 164 व 165 द्वारा भू अभिलेख में हुई प्रविष्ठियो को चुनौती दी है अतः यह पूर्ण आशंका है कि यदि वर्तमान भू अभिलेख की प्रविष्ठियो के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का अन्तरण आदि किया जा सकता है। तथा यदि ऐसा किया जाता है तो प्रार्थीगण को ही अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल आशंका है। अतः दोनो बिन्दू बखूबी साबित होने से प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि ताफैसलावाद अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण नही करने व वर्तमान भू अभिलेख में परिवर्तन नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:06 IST
Reason: SelfAttested

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसलावाद वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

राजी सरहद मोजा गुड़ा हेमड़ाई पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र स तहसील- जैतारण जिला- पाली (राजस्थान) में स्थित . खसरा संख्या 1617 कबा 14-15 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 1618 रकबा 08-00 घा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 1619 रकबा 10-16 बीघा किस्म बारानी यम कुल खसरा संख्या 03 कुल रकबा 33-11 बीघा तथा खसरा संख्या 731/1616 रकबा 10-00 बीघा किस्म बारानी दोयम के वर्तमान भू अभिलेख में केसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही करे, रहन, बैचान हस्तान्तरण आदि नही करे। त्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 18/08/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.12 12:41:06 IST
Reason: SelfAttested